


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.8(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/ भौतिक विज्ञान(छात्र)/2015-16/284 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - भौतिक विज्ञान वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300-34800) ग्रेड वेतन-4800 के पद पर चयनोपरांत सहाय्य सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक भौतिक विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवर्तनीय प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेंशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - भौतिक विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवर्तनीय प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अभिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए-1/2005 दिनांक 20.01.2008 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/सल्ल/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क-2/03 दिनांक 09.08.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा कबटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जाये।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जाये।
3. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया जाने सम्बंधी अभिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा स्टि.पिटीएम संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क-2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाये।
4. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकमुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरंत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जाये।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अनिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।



6. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावें। जो अन्यथा पूर्व से ही राज्य सेवा में रोजगार है, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /85 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
8. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध निम्नानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विनाग स्वतन्त्र होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajabhawan.gov.in/Secular> एवं <http://rajirnsa.nic.in> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.08.2017 के निर्णय के अधीन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12-07-2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न- 36 आसार्थियों की सूची



(नयमल सिंघेल)

आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक - 02/09/2017

क्रमांक :- शिविस/मा/संख्या/सी-3/नियुक्ति-भौतिक/पीएससी-15/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2)/कार्मिक (गुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/ग)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आसार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/शक्ति पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान,
बीकानेर

आदेश संख्या-01

शिविर/भाष्य/संस्था/सी-3/निपुणित-भौतिक/पीएससी/15/17 दिनांक 2/07/17

क्र.सं.	सेरिट नं.	वर्ग	भ्रमण वर्ग	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	रखाई पत्ता	जन्मतिथि	आरंभित विद्यालय (संस्थानिक)	जिला
1	462	GE,WE	GENF	JASMINE BAWEJA/ PREM PRAKASH BAWEJA	64-शिव कॉलोनी, स्ट्रीट नं. -1, वार्ड नं.-28, शिव मन्दिर के पास, सीध चौक, सीधगानगर	14-03-1988	GSSS SONADI, NOHAR	हनुमानगढ़
2	469	GE,WE	GENF	SARIKA SHARMA/ ASHOK KUMAR SHARMA	2/8, मल्लिस्ट्रीट कॉलोनी, कोटा रोड, सीधगढ़	31-05-1978	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SWAIPUR, KOTRI	भीलवाड़ा
3	471	GE,WE, RG	GENF	JAISHREE MATHUR/ GIRDHARI LAL MATHUR	जल विहार, 8 ए, कला खेड़ा रोड, सीधार नं.-4, जिला नगरी, जयपुर	30-08-1982	G.S.SEC.S.BALUA, SEMARI	उदयपुर
4	631	BC,WE	OBCF	MS. VINITA/ CHHOTU RAM	नं.-192-डी, सैक्टर नं. -5, नेताजी स्कुल के पास, गोहर (हनुमानगढ़)	02-12-1992	GOVT.ADRASH SEC.SCHOOL KHUIYAN, NOHAR	हनुमानगढ़
5	635	BC,WE	OBCF	ANITA KHOJA/ HARNIWAS KHOJA	ब्लॉक नं.-08, प्लॉट नं. -18, हनुमान बंग कॉलोनी, नगीर	15-08-1992	SHAHID SHREE AMRA RAM GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, JAWLA PARBATSAR),NAGAU R, PARBATSAR	नगीर
6	636	BC,WE	OBCF	EKTA SONI/ SOHAN LAL SONI	डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी, वार्ड नं.-7, कगला पीपी धर्मशाला के पास, बीम का भाग (सीकर)	04-08-1991	GOVT. ADARSH SR.SEC.SCH. AJITGARH SIKAR), SHRI MADHOPUR	सीकर
7	638	BC,WE	OBCF	MOHINI/ BEGRAJ BHADU	वार्ड नं.-8, घाम-राजपुर, पो-अमर, तह-सुजानगढ़, जिला - धुल	27-01-1990	G.Ad.SR.SEC.SCHOOL , KOLAYAT, KOLAYAT	सीकर
8	643	BC,WE	OBCF	SUNITA/ RAJESH KUMAR	मु.पो.-बादिमा राजपुर, घाम-सीकर, तह. -सीकरपोर, जिला-सीकर	01-08-1992	GOVT. SR SEC. SCH. DATTWAS, NEWAI	सीकर
9	644	BC,WE	OBCF	ANJU CHOUDHARY/ TEJ SINGH RANA	C% मेरीचण्ड खण्डेलवाल, नृसिंह कॉलोनी, खेरली (अलवर)	05-10-1989	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AKBARPUR, BLOCK- UMRAIN,ALWAR, UMRAIN	अलवर

जी

अ

10	3	BC	GENM	SATYAVEER SINGH/ HARLAL SINGH DHAKA	गाँव-ठीस झरका की झानी, पोस्ट-बीकानेर, तह. -नवलपरा, जिला-झुजपुर	21-05-1989	G.HR.SEC. SCHOOL JALIYA FIRST, JAWAJA	अजमेर
11	299	BC	GENM	PRAVEEN KUMAR GHINTALA/ LOTA RAM	डी.पी.ओ.-सेखारा, तह. -नेहरू, जिला-झुजपुर	07-10-1989	G.SR.SEC.SCHOOL NUNDRI MENDRATAN, JAWAJA	अजमेर
12	413	GE	GENM	NITIN KUMAR GUPTA/ DAMODAR PRASAD GUPTA	प्रा.पे.-डिबनाग, तह. -लालसोड, जिला-बीसा	07/05//1989	GOVT. SER. SEC. SCHOOL CHHAREDA, LAWAN	बीसा
13	414	GE	GENM	KRISHAN KUMAR/ RAM KISHAN	गाँव एबीवर्षा कलासेज, कापरा नं.-1, तहसील मथडी, जिला-कोटा	06-05-1992	GOVT. SR. SEC. BADANAYA GAON, HINDOLI	दुधी
14	420	GE	GENM	VED PRAKASH GUPTA/ SURESH CHANDRA GUPTA	88-दास महेन्द्र कीलोनी, सी-एन रोड, बहर, झुजपुर	30-06-1981	GOVT.SR.SECONDARY SCHOOL MISHROLI, BHAWANIMANDI	झुजपुर
15	422	GE	GENM	RAJENDRA JOSHI/ LAXMI NARAYAN JOSHI	जोशिया का बास, डाकिया मुर्गा के पास, सीवात सिटी (पाली)	22-12-1983	GASS School.CHAMUNDER I, BALI	पाली
16	428	GE	GENM	DEVENDRA SINGH SHEKHAWAT/ SHAITAN SINGH SHEKHAWAT	घाई नं.-20, पाकिस्तान लॉसिंग होम के पास, फतेहपुर रोडकापटी, जिला-बीकानेर	03-02-1990	GOVT ADARSH SR.SEC.SCHOOL, HADAN, KOLAYAT	बीकानेर
17	433	GE	GENM	MANISH SHARMA/ SUBHASH CHANDRA SHARMA	घाई नं.-11, नहर के पास, झुजपुर, जिला-झुजपुर	24-06-1992	GHSS ALNIYAWAS, RIYAN	नगीर
18	444	GE	GENM	MUKESH KUMAR SHARMA/ TARACHAND SHARMA	गाँव-कान्ठेडा, पोस्ट-झुजपुर, तह. -खंडनगढ़, जिला-बीकानेर	01-07-1988	GOVT.SR.SECONDARY SCHOOL, KHICHAN, PHALODI	झुजपुर
19	446	BC	GENM	ASHOK PRAJAPAT/ RAMJI LAL PRAJAPAT	प्रा.पे.-नीरगवाडा, तह. -नहरा, जिला-बीसा	02-06-1989	GOVT. ADARSH SEN.SEC.SCHOOL, BALICHA, KHERWARA	जयपुर
20	451	GE	GENM	DEEPAK RAJ PUROHIT/ SATISH CHANDER RAJPUROHIT	सतीश निवास, कोर्ट रोड, घाई नं.-10, झुजपुर (सीरवालागढ़)	20-08-1984	GOVT.SR.SECONDARY SCHOOL, SHERGARH, JODHPUR	जोधपुर

झ

अ


21	472	BC	OBCM	KALWANT SINGH/ GURMEL SINGH	पीब-12 A, पीब ऑफिस-8 F A (गवर्नमेन्ट), लह-पीकसपुर, जिला-बीरगंज	14-07-1984	Govt. Sr. SEC.School, SUVERI, KHERWARA	उदयपुर
22	612	BC,DC	OBCM	AMIT KUMAR/ KARAN SINGH	मन- F-23, सीटी, बीलोनी, गिजाणी, लह, -सुरजगढ़ जिला-सुन्धु	06-09-1989	G S S SCHOOL KARJU, CHHOTI SADRI	प्रतापगढ़
23	613	BC	OBCM	RAVI YADAV/ AMI CHAND YADAV	संकाठी कल्याण के पास, बाजे-गुंज, लह-बनसुर, जिला-अजमेर	14-11-1993	GOVT.ADARSH GIRLS SR.SEC.SCHOOL. ATRU, ATRU	बाजमेर
24	615	BC	OBCM	VUENDRA KUMAR/ RAMNIWAS	टी-18ए, एकलौखई गोदाम के सामने, आरसी कॉलोनी, रीको वार्ड नं-12, सुन्धु	20-04-1987	GOVT.SR.SEC.SCHOO L, RAWATSAR, BARMER	बाजमेर
25	617	BC, RG, NG	OBCM	SUBHASH KUMAR SAINI/ KALU RAM SAIN	वीर कुमुधान जी का लला, संस्कृत स्कूल, वार्ड नं-28, लख गार्डन, पीनु, (लखपुर)	08-09-1985	G.S.SEC.S. KHERA KACCHAWASA, DUNGARPUR	दुंगरपुर
26	620	BC, RG, NG	OBCM	MAHESH TAK/ PUKHRAJ TAK	गानासर, जोधपुर रोड, गगीर	01-07-1983	GOVT.SR.SEC.SCHOO L BHUNIYA, DHANAU	बाजमेर
27	622	BC	OBCM	MANINDER SINGH/ SUKHCHARAN SINGH	डी.पी.ओ.- गदरखंड, लह, -साधुखंडर, जिला-बीरगंज	01/08/1987	GOVT.SR.SEC.SCHOO L MAHIDAM, BANSWARA	बांसवाड़ा
28	623	BC	OBCM	RAVINDRA KUMAR SAINI/ JAGDISH PRASAD SAINI	पीब-सात सार, पी -इस्लामपुर, लह. व जिला - सुन्धु	18-02-1988	AADRSH GOVT.SR.SEC.SCHOU L TANPI, CHITALWANA	चितालवा
29	624	BC	OBCM	GORISHANKAR/ OM PRAKASH	वार्ड नं-7, मन-288, पंचायत धर के पास, डी.पी. ओ.-बीहिसवाली, सावा-पीलीबंगा, लह. व जिला - हनुमानगढ़	05-04-1988	GOVT. SR. SEC.SCH._NARSINGH O KI DHANI, SAM	जैसलमेर
30	628	BC	OBCM	VINOD KUMAR SWAMI/ SATYANARAYAN SWAMI	ग्राम-नीहरा, पी, -उदयपुरवाटी, जिला-सुन्धु	28-06-1990	GOVT.HR.SEC.SCH. DEVGARH, PRATAPGARH	प्रतापगढ़
31	634	BC	OBCM	RAXESH KUMAWAT/ LAXMI NARAYAN	सेला टैक्स ऑफिस के पीछे, सहरील के पास, सिबिल कॉलोनी, सकराना (गगीर)	08-01-1992	ADARSH GOVT.SR.SEC.SCHOD L, GAGRIA, RAMSAR	बाजमेर

21

21

32	651	SC	SCM	RAVI KUMAR CHOPDAR/ SOHAN LAL	बाराही-कच्छीय, तह -कच्छीय, जिला-बुंदी	13-09-1989	G.S.SEC SCHOOL KATUMBI, CHOTISARVAN	बाराहीय
33	653	SC	SCM	OM PRAKASH KANODIA/ NAND LAL KANODIA	बाई न-ब, गौड-मण्डल, तह- विडवा, जिला - सुपुर्.	18-09-1976	G.SR SEC.S VETRPUR , BICHIWARA	बाराहीय
34	658	SC	SCM	SUDARSHAN VAGHELA/ POORAN MAL VAGHELA	40, सुर्या कीर्ती, मल गौड रोड, पाली नगर (पल्ली)	08-08-1991	AADRASH GOVT. SR. SEC. SCHOOL SESAVA, CHITALWANA	बाराहीय
35	762	ST, RG	STM	RISHIKESH MEENA/ RAMNIVAS MEENA	ग्राम-कीर्तारगुण (कमरिया), पोस्ट-डीसादेवी, तह. व जिला - कौली	16-07-1984	ADARSH GOVT SENIOR SECONDARY SCHOOL KANKARADARA, DUNGARPUR	सुगर्पुर

2



निदेशक
बाराहीय

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.8(9) परीक्षा क/प्राध्यापक- (स्कूल शिक्षा)/ भौतिक (भात्र)/2015-16/284 दिनांक: 28.06.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - हिन्दी वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300-34800) ग्रेड वेतन-4800 के पद पर संलग्न सूची में विद्वेषांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अनिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को कार्मिक(क-2)विभाग के आदेश क्रमांक ए. 7(2) कार्मिक/क-2/15 पार्ट दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में सिविल अपील संख्या 1464-1486/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कौन्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुक्रम में प्राध्यापक भौतिक विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) - भौतिक विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए-1/2005 दिनांक 20.01.2005 एवं एफ 12(06)एफडी(निचन)/2005 दिनांक 13.03.2008 एवं एफ 14(1)एफडी/कलस/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत घयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव घयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक भिद्यमानुसार देय होगा। संबंधित संस्था प्रदान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:-

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मुहू दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकमुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य भात-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अधिलेख में सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नहीं करवावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आक्षेप का आग्रहक राज्य पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से शपथ पत्र लेवे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटस्थित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिपूर्वक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।



6. ध्यनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://shiksha.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिष्कृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर रहेंगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नहीं होगा। उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैम्टन सुखिन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अश्विन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अन्वयेन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12-07-2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

संलग्न- 02 आशार्थियों की सूची


(लिखित डिरेक्टर)

आइएएल

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

दिनांक: 02/07/2017

क्रमांक :- सिविल/मा/संख्या/सी-3/नियुक्ति-भौतिक/पीएससी-15/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2)/ कार्मिक (गुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/यदिष्टता/ओएससी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक (कैम्टन)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर

आदेश संख्या-02

शिक्षा/माध्य/संख्या/सी-3/निम्नविद्य-भौतिक/पीएचडी/16/17 दिनांक 02/07/17

क्र.सं.	प्रेरित नं.	वर्ग	चयन वर्ग	अभ्यर्थी का नाम व पिता का नाम	पता	जन्मतिथि	आरंभित विद्यालय (राजधानी)	जिला
1	0	SB, RG	SBCM	MUKESH KUMAR/ PHOOLCHAND	नाकोडा गौतम कुशींग रोड, अजमेरी रोड के बाह्य, हुपाना ब्लाक, मुक्ति के गांव, राजस्थान (राजधानी)	15-12-1984	ADARSH GOVT.HR.SEC.SCH.C HUPANA, ARNOD	जयपुर
2	0	SB	SBCM	VIJAY KHATANA/ DHANNA LAL KHATANA	धरम जी के मकान के सामने, सरेला रोड, झालावाड़	25-06-1984	Govt.SR.SEC.SCHOOL DUNGARIYA, GHATOL	झालावाड़

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

निदेशक

कार्यलय

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर